न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ील संख्या : 17/227

नाथू सिंह आत्मज बन्ने सिंह जाति राजपूत मूल निवासी ग्राम मोसलपुर टोडाभीम जिला करौली हाल निवासी वार्ड नं0 16 रविन्द्र कॉलोनी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. रतन कंवर बेवा पत्नी लक्ष्मण सिंह जाति राव राजपूत निवासी ग्राम मैणा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. सीमा कंवर पुत्री लक्ष्मीण सिंह जी पत्नी महावीर सिंह जाति राव राजपूत निवासी ग्राम सावंतगढ तहसील हिण्डोली जिला बन्दी ।
3. लीला कंवर पुत्री लक्ष्मण सिंह जी पत्नी श्री मनजीत सिंह जाति राव राजपूत निवासी केशलाल जी महावर कपडे वाले का मकान अस्थल रोड, छावंनी चौराहा टोंक तहसील व जिला टोंक ।
4. संतोष कंवर पुत्री लक्ष्मण सिंह जी पत्नी श्री भीमसिंह जाति राव राजपूत निवासी दयालपुरा तहसील व जिला बून्दी ।
5. चतुर्भज सिंह आत्मज श्री बाबूसिंह जाति राव राजपत निवासी ग्राम मैण तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. अणदी सिंह आत्मज श्री बाबूसिंह जाति राव राजपूत निवासी मैणा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. बदाम कंवर पुत्री बाबूसिंह पत्नी श्री उमराव सिंह जी जाति राव राजपूत निवासी ग्राम छापरवाडा पोस्ट सुनाडिया तहसील दूदू जिला जयपुर ।
8. राजस्थान राज्य जरिय जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी ।
9. भूमिधारी तहसीलदार तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
10. उप पंजीयक देई, तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कृष्ण दत्त दाधीच, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 5 से 7 की ओर से ।
3. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की ओर से ।

दिनांक: 19.04.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.05.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी के विरूद्ध पेश की गई है ।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम मैणा तहसील नैनवा की आराजी कुल किता 07 कुल रकबा 08 बीघा 03 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा निहित है और वह उक्त भूमि का नियमानुसार विभाजन कराने का अधिकारी है । अतः वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत कैम्प मुख्यालय भजनेरी में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.05.2017 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.05.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद तनकीयात कायमी में चल रहा था परन्तु उक्त वाद को अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपीलान्ट को सूचित किये बिना ही गुणावगुण के आधार पर निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह राजस्व लोक अदालत की भावना के विरूद्ध जाकर निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.05.2017 निरस्त फमराया जावे तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का कोई हक अधिकार नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.05.2017 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था । उक्त वाद तनकीयात कायमी में चल रहा था । अधीनस्थ न्यायालय उसी दौरान उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हों परन्तु

प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय राजस्व लोक अदालत की भावना के विपरीत जाकर उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनाक 16.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दावा एंव जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 30.05.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

10. निर्णय आज दिनांक 19.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा